RUPEES 25000 रुपये

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

RS TWENTYFIVE THOUSAND

पच्चीस हज़ार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 256095

विक्रय-पत्र

लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण

1.	भूमि का प्रकार	– कृषि
2.	परगना	– बिजनौर
3.	ग्राम	– निज़ामपुर मझिगवां
4.	सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नं0)	– भूमि खसरा न0 293
5.	मापन की इकाई	– हेक्टेअर
6.	सम्पत्ति का प्रकार	– कृषि

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

256096

कोषागार से जारी

05 SEP 2016

व. को. अ./कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ

KOTRY

7. पेड़ों का मूल्यांकन – कुछ नही।
8. बोरिंग/कुआ/अन्य – कुआं/अन्य नही एक ट्यूवेल लगा है
9. प्रतिफल की धनराशि – रू0 6,50,000/-
10. मालियत – रू0 7,75,500 + रू0 30000=रू0 8,05,500/-
11. स्टाम्प – रू0 80,600/-

चौहद्दी

खसरा न0. 293

उत्तर	: गांव की सीमा हसनपुर खेवली
दक्षिण	: खसरा संख्या–294
पूरब	: चक रोड
पश्चिम	: खसरा संख्या–292

03BB 771456

लखनऊ कोषागार से जारी

- 3 -

प्रथम पक्ष की संख्या-01 द्वितीय पक्ष की संख्या-01

विक्रेता का विवरण	:	क्रेता का विवरण
श्री भगौती प्रसाद पुत्र स्व0 धनी, निवासी-ग्राम-निजामपुर मझिगवां, परगना- बिजनौर, तहसील व जिला-लखनऊ व्यवसाय-कृषि		ननकऊ पुत्र स्व0 मोहन, निवासी-स्थाई व अस्थाई मिर्जापुर भिटारी, पोस्ट-नौ गांव, जिला-फतेहपुर व्यवसाय-कृषि

नि.अं. भगौतीप्रसाद

नि.अं. ननकऊ

03BB 771457

विक्रय विलेख

यह कि विक्रेता कृषि भूमि खसरा न0 293 रकबा 0.5640 हेक्टेअर, कुल एक नम्बर, कुल रकबा 0.5640 हेक्टेअर है, इस प्रकार कुल रकबा 0.5640 हेक्टेअर, स्थित–ग्राम निजामपुर मझिगंवा, परगना– बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ का मालिक, कामिल व काबिज है तथा उपरोक्त सत्यापित षटवार्षिक खाता खतौनी क्रम संख्या–00105 के अनुसार कृषि भूमि विक्रेता के नाम अपने पूर्वजों से प्राप्त हुई जिसका अमल दरामद राजस्व

- 5 -

अभिलेखों में हो गया है तथा उक्त आराजी आज तक विक्रेता के कब्जे व दखल मालिकाना में मौजूद है और जो कहीं विक्रय, हिबा, ऋणभार, कुर्की, व जमानत आदि से ग्रसित नही है, उक्त आराजी में किसी अन्य व्यक्ति का कोई स्वामित्व एंव अधिकार नहीं है और न ही कोई व्यक्ति भागीदार है, अब बजरूरत खुद विक्रेता के उसी आराजी रकबा उपरोक्त को पूर्ण स्वामित्व एवं अधिकारों सहित बिना छोड़े किसी चीज व हक के खूब सोच व समझकर बिना किसी दबाव के, बएवज मुबलिग रू0 6,50,000/- (रूपया छः

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 417266

लाख पचास हजार मात्र) जिसके आधे रू0 3,25,000/- (रूपया तीन लाख पच्चीस हजार मात्र) होते है बदस्त क्रेता उपरोक्त ननकऊ पुत्र स्व0 मोहन, निवासी- स्थाई व अस्थाई मिर्जापुर भिटारी, पोस्ट-नौ गांव, जिला-फतेहपुर के बय कतई किया, और कुल विक्रय धनराशि ~~चेक~~ कब्ल तहरीर दस्तावेज हाजा क्रेता उपरोक्त से प्राप्त करके कब्जा व दखल मालिकाना आराजी बयशुदा पर आज की तारीख से क्रेता उपरोक्त का वाकई बखूबी करा दिया, अब विक्रेता व वारिसान विक्रेता को कोई हक व दावा

निस्बत आराजी बयशुदा व विक्रय धनराशि के क्रेता से बाकी नहीं रहा, अगर कोई शख्स दावा करे तो वह बिल्कुल नाजायज होवे, और अगर आराजी बयशुदा पूर्ण अथवा उसका कोई अंश क्रेता के स्वामित्व एवं अधिकारों से निकल जावे या कब्जा न मिले या कही विक्रय, हिबा, ऋणभार, कुर्की व जमानत आदि से ग्रसित पायी जाती है तो ऐसी स्थिति में क्रेता को अधिकार होगा कि वह अपना कुल विक्रय धनराशि मय हर्जा–खर्चा व नुकसान के सब विक्रेता व वारिसान विक्रेता से व विक्रेता की अन्य सम्पत्ति चल व अचल से जरिये न्यायालय प्राप्त कर लेवें, इसमें विक्रेता व वारिसान विक्रेता को कोई आपत्ति नही होगी।

अब क्रेता उपरोक्त को पूरा अधिकार है कि वह विक्रीत आराजी के सम्बन्ध में समस्त सरकारी अभिलेखों में अपने नाम दाखिल–खारिज करा लेवें ।

आराजी उपरोक्त में खेती होती है, आराजी उपरोक्त में कोई पेड़, कुआं व इमारत आदि नहीं है लेकिन एक ट्यूबवेल लगा है, आराजी उपरोक्त के 200 मीटर त्रिज्या में कोई निर्माण आदि नही है।

आराजी उपरोक्त किसी लिंक मार्ग जनपदीय मार्ग व राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित नहीं है।

आराजी स्थित ग्राम-निजामपुर मझिगवां, परगना-बिजनौर के अर्धनगरीय क्षेत्र के विशिष्ट ग्राम के अन्तर्गत आता है जो नगर निगम सीमा के बाहर स्थित है जिसकी कृषि भूमि की बाजारू कीमत रू0 11,00,000/- प्रति हेक्टेअर की दर से निर्धारित है है इस प्रकार से विक्रीत आराजी रकबा 0.5640 हेक्टेअर तथा उपरोक्त खसरा गांव की सीमा में लगता है इस प्रकार 25 प्रतिशत बढ़ाकर रू0 13,75,000/- आती है इस प्रकार रकबा 0.5640 हेक्टेअर की मालियत रू0 7,75,500/- तथा एक टयूबवेल की कीमत रू0 30,000/- जोड़कर कुल मालियत रू0 8,05,500/- आती है जिस पर नियमानुसार जनरल स्टाम्प शुल्क रू0 80,600/- के अदा किये जा रहे हैं।

उपरोक्त आराजी मुख्य मार्ग सुल्तानपुर रोड से 1 किमी0 की दूरी पर स्थित है।

विक्रेता तथा क्रेता अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के सदस्य है। उक्त आराजी किसी योजना व किसी सरकारी व अर्ध सरकारी संस्था द्वारा अधिगृहित नही है।

<u>विवरण भुगतान</u>

1. रू0 4,00,000/- (रूपया चार लाख मात्र) जरिये चेक संख्या-131730 दिनांक 13.10.2006 पंजाब नेशनल बैंक, शाखा-हजरतगंज, लखनऊ

2. रू0 2,50,000/- (रूपया दो लाख पचास हजार मात्र) नकद विक्रेता ने क्रेता से प्राप्त किया।

कुल रू0 6,50,000/- (रूपया छः लाख पचास हजार मात्र) विक्रेता ने क्रेता से प्राप्त किया।

विक्रय पत्र

6,40,000.00/ 775,500.00

5,000.00	40	5,040.00	2,000
फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

प्रतिफल मालियत

श्री / ~~श्रीमती~~ भगवती प्रसाद

पुत्र / ~~पत्नी~~ श्री स्व धनी

पेशा कृषि

निवासी स्थायी निजामपुर मझिगवां

अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय दिनांक 13/9/2006 समय 4:37PM

बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

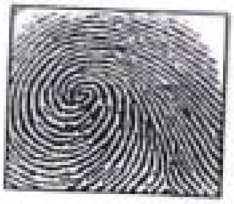

ए के श्रीवास्तव

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

13/9/2006

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु. प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता

श्री/~~श्रीमती~~ भगवती प्रसाद

पुत्र/~~पत्नी~~ श्री स्व धनी

पेशा कृषि

निवासी निजामपुर मझिगवां

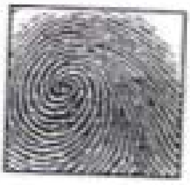

क्रेता

श्री/~~श्रीमती~~ ननकऊ

पुत्र/~~पत्नी~~ श्री स्व मोहन

पेशा कृषि

निवासी मिर्जापुर मिटारी पो नौगाव जिला फतेहपुर

निष्पादन स्वीकार किया।

जिनकी पहचान श्री संजीव कुमार

पुत्र श्री बी कुमार

पेशा नौकरी

निवासी अर्जुन गंज लखनऊ

व श्री ताराचन्द

पुत्र श्री लालता प्रसाद

पेशा व्यापार

निवासी रानी खेड़ा लखनऊ

ने की।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

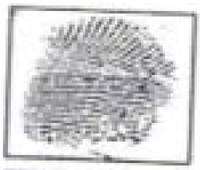

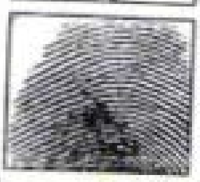

ए के श्रीवास्तव

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

13/9/2006

लिहाजा यह दस्तावेज विक्रेता ने अपनी खुशी व रजामन्दी से खूब सोच व समझकर बिना किसी दबाव के, क्रेता उपरोक्त के पक्ष में लिख दिया ताकि सदन रहे और वक्त जरूरत पर काम आवें।

अतः आज उभय पक्षों ने इस विक्रय विलेख पर अपने-अपने हस्ताक्षर करके इसे निष्पादित किया।

दिनांक:- 08.09.2006

लखनऊ

(भगौती प्रसाद)
हस्ताक्षर/विक्रेता

<u>गवाहान:-</u>

1. डॉ
सुनील [illegible] S/o [illegible]
लालबाग, लखनऊ

(ननकऊ)
हस्ताक्षर/क्रेता

2. तारा चन्द
श्री लालता प्रसाद
रानी खेड़ा
लखनऊ

टाईपकर्ता:
AKM
(अभय शाह)
सिविल कोर्ट, लखनऊ

मसविदाकर्ता:
(एस0एम0 सक्सेना)
एडवोकेट,
सिविल कोर्ट, लखनऊ

विक्रेता

Registration No 7759 Year : 2006 Book No. 1

0101 प्रभावती प्रसाद

ग्राम- निजामपुर मझिगवां, परगना- बिजनौर,
तहसील व जिला लखनऊ।

ह. अ. ...

विक्रेता

क्रेता

क्रेता

Registration No. 7759 Year : 2006 Book No. 1

0201 ननकऊ

स्व मोहन

मिर्जापुर सिठारी पो नौगवा जिला फतेहपुर

कृषि

रजिस्ट्रेशन अधि0 1908 की धारा - 32 ए0 के अनुपालन हेतु.

फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता नाम व पता :- [illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

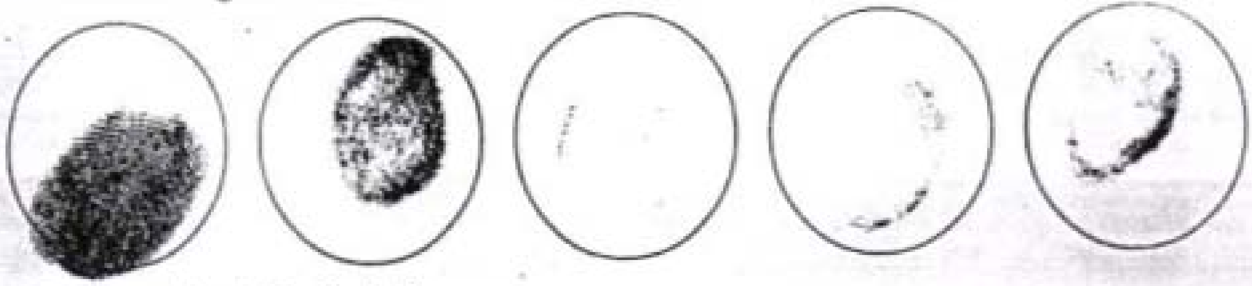

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

[illegible]

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता / क्रेता नाम व पता :- ननकऊ पुत्र स्व० मोती
नि० मिर्जापुर सिटरासी पोस्ट नॉगांव जिला फतेहपुर

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

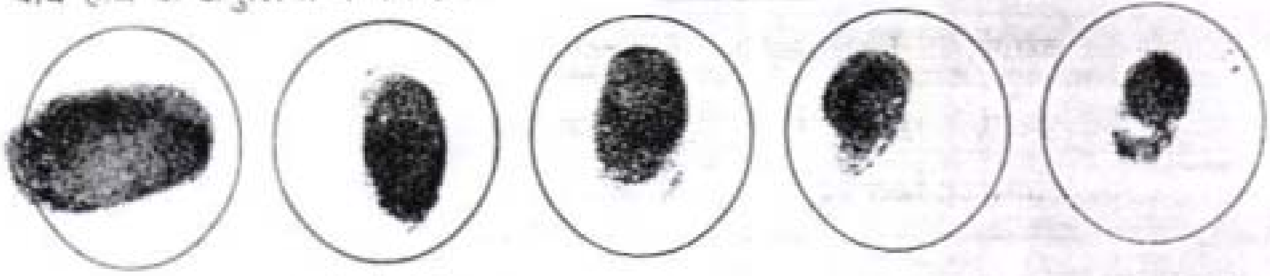

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

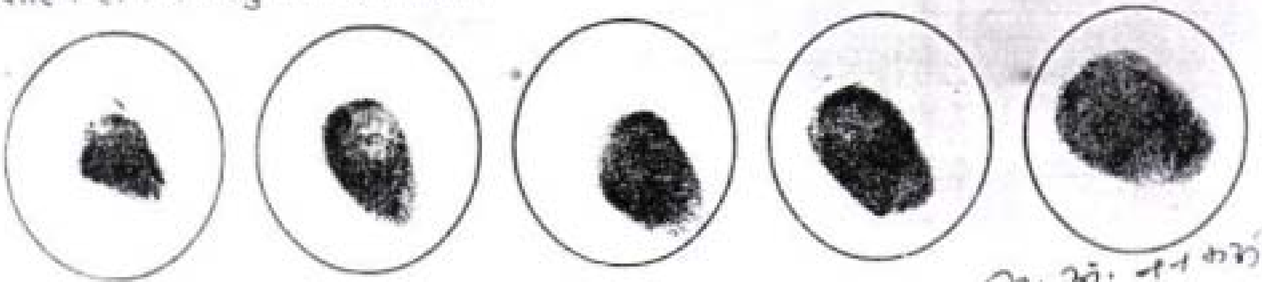

नि० अं० ननकऊ

विक्रेता /

आज दिनांक 13/09/2006 को

वही सं 1 जिल्द सं 7797

पृष्ठ सं 117 से 138 पर क्रमांक 7759

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

ए के श्रीवास्तव

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

13/9/2006